7– विद्युत पोल एवं ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग की मद हेतु धनराशि पावर कारपोरेशन से प्राप्त आगणन के आधार पर वास्तविकता के आधार पर देय होगी।

8– पेड़ों की कटाई के पूर्व वन विभाग की अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

9– प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन,कास्ट डिजाईन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग पीएफएडी/ ईफसी की शर्तों एवं निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

10– जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

11– परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आहरित कर डिपाजिट कार्यों के रूप मे कार्यदायी विभाग–द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष "8782" के अन्तर्गत–सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर, वित्त (लेखा) अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–2–47/दस– 97–10(9)/95, दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट केडिट लिमिट (डी0सी0एल0) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

12– स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2015 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च,2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा–जोखा 31 मार्च,2015 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग–4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

13– राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर निलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश से अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

14– जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा।

15– कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज़ नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

16– कार्य स्थल पर इसे त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ–साथ कार्य के मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन–साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

17– यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

18– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी।

19– कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य समाप्ति के पश्चात सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख–रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।